

16.6.22 पत्तावली पेश हुई। वकील पक्ष का एम अमुदाखित
वादी व वादी वकील एवं प्रतिवादी को अमानत
समय तक बार-बार झापास लगवाई गई।
लेकिन कोई उपाय नहीं हुआ।

इस वादी का वाद कायदा तन्नासमा आराजोमत
एवं स्याई मिसेदाहा इन्तर्गत आदेश 09 निगम-
03 के अदम हाजरी अदम फरवी में जारी जा किया
जाता है पत्तावली जिसल शुमार होना सम्बन्ध
अस होना दाखिल दफ्तरो हो। निर्णय खुले -
कामाल में हुनामा गया।

उपखण्ड अधिकारी
सौर लेक

